<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 63/2020

1 कासम पुत्र गफुर खां।
2 जमीला पुत्री भंवरखां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मोहल्ला बटवालान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अनवरखां पुत्र ईमामुदीन खां।
2 शेरूदीन पुत्र ईमामुदीन खां।
3 उम्मेद पुत्र ईमामुदीन खां।
4 सलाउदीन पुत्र रसुलखां।
5 अलादीन पुत्र रसुलखां।
6 जाफर हुसैन पुत्र रसुलखां।
7 मु. बेगम स्त्री रमजानी उर्फ रमजानखां
8 शब्बीर पुत्र रमजानी उर्फ रमजानखां।
9 ईकबाल पुत्र रमजानी उर्फ रमजानखां।
10 रफीक पुत्र रमजानी उर्फ रमजानखां।
11 पेपली पुत्री रमजानी उर्फ रमजानखां।
12 कलसुम पुत्री रमजान उर्फ रमजानखां।
13 रोशन पुत्री रमजानी उर्फ रमजानखां।
14 मु. बसौ पुत्री रमजानी उर्फ रमजानखां।
15 आाशिक पुत्र सन्नुखां।
16 रफीक पुत्र सन्नुखां।
17 उस्मान अली पुत्र सन्नुखां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 अब्दुल सतार पुत्र सन्नुखां।
19 गुलाम हुसैन पुत्र सन्नुखां।
20 खैरूनिशा पत्नी मिसरू खां।
21 याकुब पुत्र मिसरू खां।
22 सोनम पुत्री मिसरूखां।
23 रूबिना पुत्री मिसरूखां।
24 फरजाना पुत्री मिसरूखां।
25 जेबुनिशा पुत्री मिसरूखां।
26 रईसा पुत्री मिसरूखां।
27 बिस्मिला पुत्री भंवरखां।
28 राबिया पुत्री गफुर खां।
29 बाबु खां पुत्र गफुर खां।
30 हाकम पुत्र गफुर खां।
31 हसमत पुत्री भंवरखां।
32 बिस्मिला पुत्री भंवरखां।
33 कलसुम पुत्र भंवरखां।
34 बसु पुत्री भंवरखां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मोहल्ला बटवालान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
35 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
36 नगर परिषद झुंझुनू जरिये आयुक्त।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी अनवर हुसैन बनाम मु. बैगम बानो मुकदमा नम्बर 69/2014 दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री तैयब हुसैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13-1-21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट ईकबाल की और से क्रोस ऑबजेक्शन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा सख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। इस निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है चूकि विचाराधीन निर्णय पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अत अब उसी निर्णय पर पुन परीक्षण की आवश्यकता नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट ईकबाल की और से क्रोस ऑबजेक्शन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा सख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। इस निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है चूकि विचाराधीन निर्णय पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अत अब उसी निर्णय पर पुन परीक्षण की आवश्यकता नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। यदि अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में चाराजोही करना चाहे तो विचारण न्यायालय में करने के लिये स्वतंत्र है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा सख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अत अपील इसी स्तर पर पुन स्वीकार कर पूर्व अनुसार रिमाण्ड का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट ईकबाल की और से कोस ऑबजेक्शन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा सख्या 69/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 212/2015 बउनवानी बेगम बानो बनाम अनवर हुसैन प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। इस निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। अपीलांट द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है चूकि विचाराधीन निर्णय पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अत अब उसी निर्णय पर पुन परीक्षण की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है अपीलांट चाहे तो विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित करने का आवेदन प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर